


शु/अ/२६ पञ्जाबलीयों के हितों के लिये, वकील प्राची उपाय व वकील प्राची उपाय
को कायदापत्री प्राथमिक परामर्श सुनने के लिये कायदापत्री
प्राथमिक परामर्श का अन्तर्गत में किया गया प्राथमिक परामर्श
है। न तो स्वीकार किया जाने प्रत्येक है। प्राथमिक
परामर्श कायदापत्री स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक
परामर्श कायदापत्री स्वीकार स्वीकार मूल निगमपत्री
२ है। पञ्जाबलीयों के हितों के लिये हेतु दिनांक 18/3/26
को प्रेषित है।


अति० जिला कलक्टर
जालंधर (बीसा)